

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: परि।त्र :-

राज्य सरकार के सक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा तृतीय वेतन शृंखला के अध्यापकों व प्रयोधकों के जो स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं। उक्त स्थानान्तरण आदेशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त स्थानान्तरण में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि अथवा अन्य कारणों से यदि किसी भी प्रकार की परिवेदना हो तो संबंधित कार्मिक अपनी परिवेदना समुचित कारण सहित दिनांक 15.08.2018 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 15.08.2018 के पश्चात् किसी प्रकार की परिवेदना स्वीकार नहीं की जावेगी।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-6/२५२०/२५/५५५५५५ राजस्थान, बीकानेर
प्रतिलिपि:- दिनांक: ०५/०६/१८

1. विशिष्ट सहायक, मान. शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. सभस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारं. शिक्षा को भेजकर लेख है कि इस प्रकार की सभी परिवेदनाओं को दिनांक 17.06.2018 तक तत्काल इस कार्यालय को पदवार संकलित कर संलग्न प्रपत्र में मय सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करना व्यक्तिशः सुनिश्चित करेंगे।
6. रक्षित पत्रावली।

१५/६/१८
 मिहेंसा
 प्रारम्भिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

परिवेदना पत्र

1. नाम:-
2. पद:-
3. लेवल प्रथम/द्वितीय
(यदि लेवल द्वितीय विषय)
4. पदस्थापन स्थान:-
5. स्थानान्तरित स्थान:-
6. परिवेदना क्या है ?
(संक्षेप में लिखें)
7. क्या चाहते हैं ?
(संक्षेप में लिखें)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि.....

स्थानान्तरण के संबंध में परिवेदनाओं का प्रपत्र

क्र.स.	मूल आदेश में क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय लेवल	विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पद स्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान				परिवेदना (पालना नहीं होने का कारण)	प्रस्तावित संशोधन	अन्य कोई विशिष्ट परिवेदना
								विद्यालय का नाम मय बार्डिंग कोड	लेवल पद / विषय	ब्लॉक	जिला			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
हिन्दी में	हिन्दी में	हिन्दी में			In English e.g. 15/06/2018	हिन्दी में	अंग्रेजी में			अंग्रेजी में	अंग्रेजी में			

समस्त प्रस्तावित संशोधन स्थानान्तरण के संबंध में राज्य स कार/निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किये गये हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा.....